231/2024 अनवान जुगलकिशोर बनाम उमादेवी

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

26.11.2024

पत्रावली रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.11.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिसल तलब कर मूल वाद खारिज होकर निस्तारित होने से अपील प्रभावहीन होने से खारिज करने बाबत पर आज पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट संख्या दो से चार के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र की प्रति वकील अपीलांट को दिलाई गई। वकील रेस्पोडेंट्स ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में मूल वाद संख्या 26/2024 अनवान उमादेवी बनाम आनन्द कुमार दिनांक 19.11.2024 को खारिज होकर निस्तारित हो चुका है। हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा वाद के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत है। मूल वाद का निस्तारण हो जाने से हस्तगत अपील सारहीन हो चुकी है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

जवाब में अपीलांट के अधिवक्ता ने रेस्पोडेंट्स के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में पारित निर्णय की अपील अदालत हाजा के समक्ष पेश की जा चुकी है। अतः अपील को लंबित रखा जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। वकील रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.11.2024 की प्रति के मुताबिक विचारण न्यायालय में मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2024 के विरूद्ध पेश की गई है जो प्रभावहीन हो चुकी है। लिहाजा अपील अपीलांट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ आदेश प्रति भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

व्यासों की चौकी के पास, फलोदी